जीसीएमएस नं.2024/155

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : सुभाष कुमार, आर0ए0एस0

ई0सी0एक्ट प्रकरण सं0 09/2024

राज्य सरकार जरिये कविता, जिला रसद अधिकारी श्रीगंगानगर

प्रार्थी

बनाम

1. श्री प्रहलाद शर्मा पुत्र श्री रतनलाल उम्र 34 साल, जाति ब्राहम्ण निवासी मांझूवास, तहच पदमपुर, श्रीगंगानगर
2. फर्म/दुकान मांझूवास, पदमपुर।

अप्रार्थी

प्रकरण अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत जब्तशुदा सामग्री 06 घरेलू एलपीजी गैस सिलेण्डर मय 85.2 किलोग्राम गैस एवं 1 बांसुरी को राजसात करने बाबत।

उपस्थित : प्रवर्तन अधिकारी, विभागीय प्रतिनिधि
अप्रार्थी अधिवक्ता मुकेश कुमार

दिनांक: 19.03.2025

निर्णय

प्रस्तुत प्रकरण के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि मांझूवास, पदमपुर पर घरेलू गैस का उपयोग अवैध गैस रिफलिंग में किये जाने की शिकायत प्राप्त पर जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर मय प्रवर्तन स्टॉफ दिनांक 22.09.2024 को उक्त दुकान/घर पर जांच हेतु पहुंचे। मौके पर प्रहलाद शर्मा श्री रनतलाल उम्र 34 साल जाति ब्राहमण निवासी मांझूवास तहसील पदमपुर उपस्थित मिला जिन्होने स्वयं को उक्त दुकान/फर्म का मालिक होना बताया। श्री प्रहलाद शर्मा पुत्र श्री रनतलाल की उपस्थिति में दुकान का निरीक्षण किया गया। दुकान की जांच में पाया कि दुकान में घरेलू गैस सिलेण्डरों का उपयोग अवैध गैस रिफलिंग में किया जाता है। मौके पर उक्त घर में 06 घरेलू एलपीजी गैस सिलेण्डर मय 85.2 किलोग्राम गैस एवं 1 बांसुरी पायी गयी। मौके पर पाये गये 06 घरेलू गैस सिलेण्डरों में से 2 भारत गैस कम्पनी एवं 4 इण्डेन गैस कम्पनी के है। मौके पर पाये गये 06 घरेलू एलपीजी गैस सिलेण्डर मय 85.2 किलोग्राम गैस एवं 1 बांसुरी वजह सबूत जब्त किये गये। मौके पर उक्त घरेलू गैस सिलेण्डर के भण्डारण/उपयोग संबंधित कोई भी वैध दस्तावेज श्री प्रहलाद शर्मा पुत्र श्री रनतलाल द्वारा प्रस्तुत नही किया गया। श्री प्रहलाद शर्मा पुत्र श्री रनतलाल के घर पर पाये गये 06 घरेलू एलपीजी गैस सिलेण्डर मय 85. 2 किलोग्राम गैस एवं 1 बांसुरी को जरिये फर्द जब्ती जप्त किये गये एवं **काशीराम पुत्र श्री रामकुमार उम्र 35 साल जाति जाट गोदाम कीपर, श्री दुर्गा इण्डेन गणेशगढ़** को सुपुर्द किया। जांच के दौरान फर्द निरीक्षण मौका व जब्ती एवं फर्द सुपुदर्गीनामा अलग से तैयार किया गया। अतः **श्री प्रहलाद शर्मा पुत्र श्री रनतलाल** द्वारा द्वारा अवैध तरीके से घरेलू गैस सिलेण्डर का उपयोग अवैध गैस रिफलिंग में किया जा रहा था। प्रहलाद शर्मा पुत्र श्री रनतलाल के द्वारा घरेलू एलपीजी गैस सिलेण्डर का अवैध गैस रिफलिंग में उपयोग कर LPG (REGULATION OF SUPPLY AND DISTRIBUTION) QRDER 2000 के क्लॉज 3(1) (ख) (ग), 4(1) (ग) (2) व 7 (1) (ग) का स्पष्ट उल्लंघन्न किया है। अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6ए के तहत मौके से जब्त 06

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

घरेलू एलपीजी गैस सिलेण्डर मय 85.2 किलोग्राम गैस एवं 1 बांसुरी को राजसात करने का आदेश फरमावें।

परिवाद प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी के अधिवक्ता को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अप्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि

1. यह कि आपके नोटिस के पैरा संख्या 1 में दर्ज तथ्य जानकारी के अभाव में अस्वीकार हैं अन्य तथ्य इस हद तक स्वीकार है कि प्रार्थी का पेशा मिस्त्री हैं।
2. यह कि आपके नोटिस के पैरा संख्या 2 में प्रार्थी की उपस्थिति में श्रीमान जिला रसद अधिकारी मय प्रवर्तन स्टाफ द्वारा दुकान का मौका निरीक्षण करना स्वीकार है परन्तु अन्य तथ्य जिस प्रकार से दर्ज किये गये है गलत होने से अस्वीकार है क्योंकि प्रार्थी का पेशा मिस्त्री है और मिस्त्री का ही कार्य करता है इसके अलावा अन्य कोई गैर कानूनी कार्य नहीं करता हैं। मौके पर उक्त दुकान में 6 घरेलू एल.पी.जी. गैस सिलेण्डर उपस्थित थे जो प्रार्थी की पत्नी व प्रार्थी के पड़ौसियों द्वारा गैस कम्पनी के ट्राली से भरवाने के लिए दिये गये थे, पूर्व में भी गैस एजेन्सी की ट्राली यही आकर इन सिलेण्डरो की रिफिलिंग करती थी क्योंकि उपभोक्ताओं की घर वाली गलियां संकरी होने के कारण गैस एजेन्सी की ट्राली को आगे नही जा सकती थी। प्रार्थी द्वारा कभी भी इन सिलेण्डरों का उपयोग व्यवसायिक कार्यों में नहीं किया गया। अन्य तथ्य जिस प्रकार से दर्ज किये गये है गलत, बेबुनियाद होने से अस्वीकार हैं।
3. यह कि आपके नोटिस के पैरा संख्या 3 में दर्ज तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। उक्त गैस सिलेण्डरों की कॉपीयां की प्रतियां साथ संलग्न जवाब है।
4. यह कि आपके नोटिस के पैरा संख्या 4 में प्रार्थी की दुकान में 6 घरेलू एलपीजी गैस सिलेण्डर मिलना स्वीकार है परन्तु अन्य तथ्य जिस प्रकार से दर्ज किये गये है गलत होने से स्वीकार नही है।

अतिरिक्त आपतियां :-

5. यह कि प्रार्थी का पेशा मिस्त्री है और प्रार्थी की पत्नी ममता देवी के नाम से व प्रार्थी के पड़ौसियों के द्वारा तमाम 6 घरेलू एलपीजी गैस सिलेण्डर, गैस कम्पनी के ट्राली से भरवाने के लिए दिये गये थे तथा समस्त गैस सिलेण्डर प्रार्थी द्वारा भरवाकर रखे हुए थे जो शाम को या अलग दिन प्रार्थी के पड़ौसी द्वारा अपने गैस सिलेण्डर ले जाते है प्रार्थी द्वारा तो अपने पड़ौसियों की सुविधा के अनुसार उनके गैस सिलेण्डर को अपने दुकान में भरवाने के लिए रखा गया था जिनका न तो प्रार्थी द्वारा कोई अवैध तरीके से उपयोग किया जा रहा था।
6. यह कि आपके नोटिस के अन्त में यह दर्ज किया गया है कि प्रार्थी द्वारा घरेलू एलपीजी गैस सिलेण्डर का दुरूपयोग कर LPG (REGULATION OF SUPPLY AND DISTRIBURION) ORDER 2000 के क्लॉज 3 (1) (ख) (ग), 4(1) (ग) (2) व 7(1) (ग) का उल्लंघन किया है जबकि प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई कृत्य नही किया गया है क्योंकि उक्त 6 घरेलू एलपीजी गैस सिलेण्डर में से एक सिलेण्डर प्रार्थी की पत्नी के नाम से है व अन्य 5 घरेलू एलपीजी गैस सिलेण्डर प्रार्थी के पड़ौसियों के है जो उनके द्वारा भरवाने के लिए प्रार्थी के यहां छोड़े गये है और उक्त तमाम सिलेण्डर भरवाने के पश्चात् पड़ौसियों को वापिस देने थे परन्तु श्रीमानजी द्वारा दिनांक 22-09-2024 को मेरी दुकान से उक्त तमाम 6 घरेलू

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

एलपीजी गैस सिलेण्डर मय 85.2 किलोग्राम गैस जब्त कर लिये गये है और जब्त होने के पश्चात से प्रार्थी के पड़ौसी द्वारा व प्रार्थी की पत्नी द्वारा बार-बार प्रार्थी से अपने 6 घरेलू एलपीजी गैस सिलेण्डर मय 85.2 किलोग्राम गैस की मांग की जा रही है।

7. यह कि प्रार्थी व प्रार्थी के पड़ौसियों को उक्त 6 घरेलू एलपीजी गैस सिलेण्डर मय 85.2 किलोग्राम गैस की हर वक्त आवश्यकता रहती हैं जिनका उपयोग घरेलू कार्यो में ही किया जाता है। उक्त 6 घरेलू एलपीजी गैस सिलेण्डर की गैस कॉपी संलग्न है।

8. यह कि प्रार्थी भारत के कानून की पालना करने वाला और शान्तिप्रिय नागरिक है। एक प्रतिष्ठित परिवार से संबंधित है और समाज में उसकी अच्छी प्रतिष्ठा है। प्रार्थी पर पूर्व में कोई मामला दर्ज नही है।

अतः जवाब नोटिस मय अतिरिक्त आपतियां प्रस्तुत कर निवेदन हैं कि उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए आप द्वारा जारी नोटिस दाखिल दफ्तर करते हुए 6 घरेलू एलपीजी गैस सिलेण्डर मय 85.2 किलोग्राम गैस वापिस लौटाये जाने का आदेश फरमाया जावें ताकि प्रार्थी को न्याय मिल सके एवं प्रार्थी की पत्नी व प्रार्थी के पड़ौसी उक्त घरेलू एलपीजी गैस सिलेण्डर का घरेलू उपयोग कर सके।

राजकीय पैरोकार ने अपने बहस में व्यक्त किया है कि मांझूवास, पदमपुर पर घरेलू गैस का उपयोग अवैध गैस रिफलिंग में किये जाने की शिकायत प्राप्त पर जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर मय प्रवर्तन स्टॉफ दिनांक 22.09.2024 को उक्त दुकान/घर पर जांच हेतु पहुंचे। मौके पर प्रहलाद शर्मा श्री रनतलाल उम्र 34 साल जाति ब्राहमण निवासी मांझूवास तहसील पदमपुर उपस्थित मिला जिन्होने स्वयं को उक्त दुकान/फर्म का मालिक होना बताया। श्री प्रहलाद शर्मा पुत्र श्री रनतलाल की उपस्थिति में दुकान का निरीक्षण किया गया। दुकान की जांच में पाया कि दुकान में घरेलू गैस सिलेण्डरों का उपयोग अवैध गैस रिफलिंग में किया जाता है। मौके पर उक्त घर में 06 घरेलू एलपीजी गैस सिलेण्डर मय 85.2 किलोग्राम गैस एवं 1 बांसुरी पायी गयी। मौके पर पाये गये 06 घरेलू गैस सिलेण्डरों में से 2 भारत गैस कम्पनी एवं 4 इण्डेन गैस कम्पनी के है। मौके पर पाये गये 06 घरेलू एलपीजी गैस सिलेण्डर मय 85.2 किलोग्राम गैस एवं 1 बांसुरी वजह सबूत जब्त किये गये। मौके पर उक्त घरेलू गैस सिलेण्डर के भण्डारण/उपयोग संबंधित कोई भी वैध दस्तावेज श्री प्रहलाद शर्मा पुत्र श्री रनतलाल द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। श्री प्रहलाद शर्मा पुत्र श्री रनतलाल के घर पर पाये गये 06 घरेलू एलपीजी गैस सिलेण्डर मय 85. 2 किलोग्राम गैस एवं 1 बांसुरी को जरिये फर्द जब्ती जप्त किये गये एवं **काशीराम पुत्र श्री रामकुमार उम्र 35 साल जाति जाट गोदाम कीपर, श्री दुर्गा इण्डेन गणेशगढ़** को सुपुर्द किया। जांच के दौरान फर्द निरीक्षण मौका व जब्ती एवं फर्द सुपुदर्गीनामा अलग से तैयार किया गया। अतः **श्री प्रहलाद शर्मा पुत्र श्री रनतलाल** द्वारा द्वारा अवैध तरीके से घरेलू गैस सिलेण्डर का उपयोग अवैध गैस रिफलिंग में किया जा रहा था। प्रहलाद शर्मा पुत्र श्री रनतलाल के द्वारा घरेलू एलपीजी गैस सिलेण्डर का अवैध गैस रिफलिंग में उपयोग कर LPG (REGULATION OF SUPPLY AND DISTRIBUTION) QRDER 2000 के क्लॉज 3(1) (ख) (ग), 4(1) (ग) (2) व 7 (1) (ग) का स्पष्ट उल्लंघन्न किया है। अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6ए के तहत मौके से जब्त 06 घरेलू एलपीजी गैस सिलेण्डर मय 85.2 किलोग्राम गैस एवं 1 बांसुरी को राजसात करने का आदेश किया जावे।

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया।

अभिलेख के अवलोकन से पाया गया कि मांझूवास, पदमपुर पर घरेलू गैस का
उपयोग अवैध गैस रिफलिंग में किये जाने की शिकायत प्राप्त पर जिला रसद अधिकारी,
श्रीगंगानगर मय प्रवर्तन स्टॉफ दिनांक 22.09.2024 को उक्त दुकान/घर पर जांच हेतु
पहुंचे। मौके पर प्रहलाद शर्मा श्री रनतलाल उम्र 34 साल जाति ब्राहमण निवासी मांझूवास
तहसील पदमपुर उपस्थित मिला जिन्होने स्वयं को उक्त दुकान/फर्म का मालिक होना
बताया। श्री प्रहलाद शर्मा पुत्र श्री रनतलाल की उपस्थिति में दुकान का निरीक्षण किया
गया। दुकान की जांच में पाया कि दुकान में घरेलू गैस सिलेण्डरों का उपयोग अवैध गैस
रिफलिंग में किया जाता है। मौके पर उक्त घर में 06 घरेलू एलपीजी गैस सिलेण्डर मय
85.2 किलोग्राम गैस एवं 1 बांसुरी पायी गयी। मौके पर पाये गये 06 घरेलू गैस सिलेण्डरों
में से 2 भारत गैस कम्पनी एवं 4 इण्डेन गैस कम्पनी के है। मौके पर पाये गये 06 घरेलू
एलपीजी गैस सिलेण्डर मय 85.2 किलोग्राम गैस एवं 1 बांसुरी वजह सबूत जब्त किये
गये। मौके पर उक्त घरेलू गैस सिलेण्डर के भण्डारण/उपयोग संबंधित कोई भी वैध
दस्तावेज श्री प्रहलाद शर्मा पुत्र श्री रनतलाल द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। श्री प्रहलाद
शर्मा पुत्र श्री रनतलाल के घर पर पाये गये 06 घरेलू एलपीजी गैस सिलेण्डर मय 85. 2
किलोग्राम गैस एवं 1 बांसुरी को जरिये फर्द जब्ती जप्त किये गये एवं **काशीराम पुत्र श्री
रामकुमार उम्र 35 साल जाति जाट गोदाम कीपर, श्री दुर्गा इण्डेन गणेशगढ़** को सुपुर्द
किया। जांच के दौरान फर्द निरीक्षण मौका व जब्ती एवं फर्द सुपुदर्गीनामा अलग से तैयार
किया गया।

इस प्रकार अप्रार्थी **प्रहलाद शर्मा पुत्र श्री रनतलाल** द्वारा अवैध तरीके से घरेलू गैस
सिलेण्डर का उपयोग अवैध गैस रिफलिंग में किया जा रहा था। अतः अप्रार्थी प्रहलाद
शर्मा पुत्र श्री रनतलाल के द्वारा घरेलू एलपीजी गैस सिलेण्डर का अवैध गैस रिफलिंग में
उपयोग कर LPG (REGULATION OF SUPPLY AND DISTRIBUTION) QRDER 2000 के
क्लॉज 3(1) (ख) (ग), 4(1) (ग) (2) व 7 (1) (ग) का स्पष्ट उल्लंघन्न किया है। अतः
अप्रार्थी **प्रहलाद शर्मा पुत्र श्री रनतलाल** से मौके पर जब्त 06 घरेलू एलपीजी गैस
सिलेण्डर मय 85.2 किलोग्राम गैस एवं 1 बांसुरी को राजसात करने का आदेश दिया
जाता है। आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी, श्री गंगानगर को पालनार्थ भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 19.03.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास
सुनाया गया।

(सुभाष कुमार)
अति0 जिला मजिस्ट्रेट
(प्रशासन), श्रीगंगानगर